संख्या-463/2025/197/22-2-2025-17(193)/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 मई, 2025

विषय:- जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र पुत्र श्री रामसरन केवट, निवासी जनपद-गोरखपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025) दिनांक-15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र पुत्र श्री रामसरन केवट, खुटहन खास टोला चोरहिया, थाना-गुलरिहा, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। दिनांक 25.11.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सोनम उर्फ मनीषा उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा शव विकृत अवस्था में चेहरे व खोपड़ी की चमड़ी सहित बाल को छिल दिया गया था, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-271/2008 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अस्थायी (एक्स कैडर-1) कोर्ट सं0-14, गोरखपुर के आदेश दिनांक 09.10.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 29.11.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना है बन्दी आपराधिक प्रवृत्ति का होने, पुनः अपराध कारित कर सकता है क्योकि सिद्धदोष बन्दी आपराधिक प्रवृत्ति का होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि सिद्धदोष बन्दी समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 25.11.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सोनम उर्फ मनीषा उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा शव विकृत अवस्था में चेहरे व खोपड़ी की चमड़ी सहित बाल को छिल दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जितेन्द्र पुत्र रामसरन केवट को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र (बन्दी संख्या-41/2023) पुत्र श्री रामसरन केवट, निवासी जनपद-गोरखपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-463/2025/197(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, संतकबीर नगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-463/2025/197/22-2-2025-17(193)/2025

दिनांक 09 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र पुत्र श्री रामसरन केवट, खुटहन खास टोला चोरहिया, थाना-गुलरिहा, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। दिनांक 25.11.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सोनम उर्फ मनीषा उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा शव विकृत अवस्था में चेहरे व खोपड़ी की चमड़ी सहित बाल को छिल दिया गया था, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-271/2008 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अस्थायी (एक्स कैडर-1) कोर्ट सं0-14, गोरखपुर के आदेश दिनांक 09.10.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 29.11.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना है बन्दी आपराधिक प्रवृत्ति का होने, पुनः अपराध कारित कर सकता है क्योकि सिद्धदोष बन्दी आपराधिक प्रवृत्ति का होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि सिद्धदोष बन्दी समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 25.11.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सोनम उर्फ मनीषा उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा शव विकृत अवस्था में चेहरे व खोपड़ी की चमड़ी सहित बाल को छिल दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जितेन्द्र पुत्र रामसरन केवट को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in